

उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल संरक्षित घोषित

चर्चा में क्यों?

23 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख बंदि

- प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी स्थलों को एंशियंट मान्युमेंट्स प्रजिर्वेशन एक्ट-1904 की धारा-3 के अधीन संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है। ये स्थल प्रदेश के छह जिलों में स्थित हैं।
- राज्य पुरातत्त्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित 18 स्मारकों या स्थलों में जनपद झाँसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोलहू कुश मड़िया, चंपतराय का महल, उत्तर मध्यकालीन कला बंजारों का मंदिर, बेर, पसिनारी दायी मड, पठामढी, टहरौली का कला, दगिरा गढ़ी तथा राम जानकी मंदिर शामिल हैं।
- इसी प्रकार संतकबीरनगर जनपद के कोट टीला, प्रयागराज स्थित रानी का तालाब, इष्टिका नर्मित प्राचीन वशिष्णु मंदिर, गंगोला शिवाला, जनपद महोबा स्थित शिव तांडव, खंकरा मठ, जनपद फररुखाबाद स्थित प्राचीन शिवमंदिर तथा इटावा में स्थित शिव मंदिर (टकिंसी टेम्पल) को संरक्षित घोषित किया गया है।